



डॉ. के.एल. खुराना

प्रधान वैज्ञानिक (₹० क्य० आर०) एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

मिसिल संख्या : शिक्षा. 10/68/2016-₹० क्य० आर०

### स्पीड पोस्ट

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

(कृषि शिक्षा संभाग)

कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा

नई दिल्ली -110012

दिनांक : ६ जुलाई, 2017

सेवा में

श्री अमित गुप्ता,  
मकान नंबर 6, अमृत कलश कॉलोनी,  
न्यू आकाशवाणी सेंट जोसफ स्कूल के पास,  
कोटा-324 001 (राजस्थान))


विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री अमित गुप्ता का प्रार्थनापत्र

महोदय,

जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.2016 का संदर्भ आमंत्रित है, इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है:

क्रम संख्या	मांगी गई सूचना	सूचना
1.	यह कि राजस्थान के कोटा शहर में स्थापित कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कृषि शिक्षा एवं कृषि अभियांत्रिकी के पाठ्यक्रमों जैसे B.Sc (Ag) Hons, M.Sc (Ag), B.Tech (Agriculture Engg), संचालित करने के लिए ICAR से मान्यता होना आवश्यकता है या नहीं। इससे संबंधित अधिसूचना, परिपत्र व कार्यालय आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराए।	चूंकि कृषि शिक्षा राज्य के अधीनस्थ एक विषय है, अतः कृषि संबंधित पाठ्यक्रमों (course) को चलाने के लिए किसी भी कृषि विद्यालय/विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मान्यता/ अनुमति/ अनुमोदन नहीं देती है। किसी भी राज्य में कृषि संबंधित पाठ्यक्रमों (course) का संचालन, नियंत्रण और दिशा-निर्देश भी संबंधित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

यदि आप उपर्युक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी, उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) भा.कृ.अनु.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली के पास सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं।

भवदीय  
  
(के.एल. खुराना)

प्रधान वैज्ञानिक (₹० क्य० आर०) एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी  
(ईक्यूआर एवं ईपी & एचएस )